

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री भेरा पिता हुकमा डांगी निवासी नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....वादीया

बनाम

1. श्री चम्पालाल पिता टेका लोहार निवासी नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. श्री लोगर पिता टेका लोहार निवासी नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
3. श्री कैलाश (माता भूरी) पिता शंकर लोहार हाल निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
4. श्री डालचन्द (माता भूरी) पिता शंकर लोहार हाल निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
5. श्री पुरुषोत्तम (माता भूरी) पिता शंकर लोहार हाल निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
6. श्री सुरज (माता भूरी) पिता शंकर लोहार हाल निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
7. श्रीमती उषा (माता भूरी) पिता शंकर लोहार हाल निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला उदयपुर।
8. पटवारी पटवार हल्का नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर।
9. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय घासा जिला उदयपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 12/24 (वाद) GCMS No. – 2024/26

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नऊवा पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 295 पर दर्ज आराजी नम्बर 1448, 1449 किता 2 कुल रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि चम्पालाल पुत्र टेका, प्यारी पत्नी टेका, भूरीबाई पुत्री टेका, लोगर पुत्र टेका के नाम प्रत्येक के 1/4 – 1/4 हिस्से से दर्ज है के बजाय चम्पालाल पुत्र टेका 1/8 जाति लोहार खातेदार, प्यारीबाई पत्नी टेका 1/8 जाति लोहार सा. देह खातेदार, भूरीबाई पुत्री टेका 1/8 जाति लोहार, लोगर पुत्र टेका 1/8 जाति लोहार, भेरा पिता हुक्का 1/2 जाति डांगी सा. देह खातेदार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

